रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2012/चैत्र 22, 1934
No. 85] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2012/CHAITRA 22, 1934

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2012

फा. सं. एन.आई.एफ.टी/एच.ओ./एक्ट/स्टेच्युट्स/2007-वाल्यूम-III.—बोर्ड, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2006 (2006 का 28) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान के निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाता है, अर्थात् :—

1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।	(1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, के प्रथम परिनियम 2012 है। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2.	परिभाषाएं।	(1) इन प्रथम परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– (क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है; (ख) 'विभाग' से शिक्षा देने और अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप करने के लिए स्थापित शैक्षणिक विभाग अभिप्रेत है; (ग) 'अनुसूची' से इन परिनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है। (2) उन शब्दों और पदों के,जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में समनुदेशित किए गए हैं ।
3.	बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन।	बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन, रजिस्ट्रार या बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

4.	संस्थान के अन्य प्राधिकारी।	संस्थान के अन्य प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:– (क) स्थापना समिति; (ख) वित्त और लेखापरीक्षा समिति; और (ग) शैक्षणिक मामलों संबंधी समिति।
5.	संस्थान के अन्य प्राधिकारियों की बैठकें।	(1) संस्थान के अन्य प्राधिकारियों की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो, किंतु एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान दो बार से कम नहीं होगी। (2) सदस्यों की कुल संख्या की एक–तिहाई संख्या अन्य प्राधिकारियों की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।
6.	स्थापना समिति का गठन।	स्थापना समिति निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:– (क) अध्यक्ष, बोर्ड – अध्यक्ष; (ख) बोर्ड के दो सदस्य – सदस्य; (ग) महानिदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान – सदस्य; (घ) संस्थान का कार्य देखने वाले भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग के संयुक्त सचिव – पदेन सदस्य; और (ग) कोई अन्य सदस्य जिसे बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।
7.	स्थापना समिति की शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य।	(1) स्थापना समिति स्थापना मामलों के संबंध में बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगी और संस्थान के स्थापना मामलों से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगी जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। (2) स्थापना समिति इन परिनियमों की अनुसूची–। में यथाविनिर्दिष्ट केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के प्रयोजन के लिए अपीली प्राधिकारी और पुनर्विलोकन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी।
8.	वित्त और लेखापरीक्षा समिति का गठन।	वित्त और लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:– (क) संस्थान का कार्य देखने वाले भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग का वित्त सलाहकार – पदेन अध्यक्ष; (ख) बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य; (ग) संस्थान का कार्य देखने वाले भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव – पदेन सदस्य; (घ) महानिदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान – सदस्य; निदेशक (वित्त और लेखा), राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान – सदस्य; और (ङ.) कोई अन्य सदस्य जिसे बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।
9.	वित्त और लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां।	वित्त और लेखापरीक्षा समिति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:– (क) महानिदेशक की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे आस्तियों का अपलेखन परामर्शियों की नियुक्ति बही मूल्य के अतिशेष भंडारों का व्ययन, (ख) महानिदेशक की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे समस्त पूंजीगत माल और प्रमुख कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी प्रदान करना; (ग) संस्थान की आय और संसाधनों के आधार पर वर्ष के कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना; और (घ) कोई अन्य शक्ति जिसे बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किया जाए ।

10.	वित्त और लेखापरीक्षा समिति के कर्त्तव्य।	वित्त और लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे, अर्थात्:– (क) महानिदेशक द्वारा तैयार किए गए संस्थान के वार्षिक बजट की जांच और संवीक्षा करना तथा बोर्ड को सिफारिशें करना; (ख) लेखाओं की जांच करना तथा व्यय के लिए प्रस्तावों की संवीक्षा करना; (ग) संस्थान से जुड़े सभी ऐसे मामलों पर, जिनमें वित्तीय विवक्षा अंतर्निहित हो, विचार करना और बोर्ड को अपनी सिफारिशें देना; (घ) सभी वित्तीय मामलों में लेखापरीक्षा समिति के रूप में कार्य करना; (ड.) बोर्ड या महानिदेशक की पहल पर या स्वप्रेरणा पर संस्थान को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले पर अपनी राय देना और बोर्ड को अपनी सिफारिशें देना। (च) कोई अन्य कर्त्तव्य जिसे बोर्ड द्वारा समनुदेशित किया जाए ।
11.	शैक्षणिक मामलों संबंधी समिति का गठन।	शैक्षणिक मामलों संबंधी समिति निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:– (क) महानिदेशक – अध्यक्ष; (ख) बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य; (ग) संस्थान का कार्य देखने वाले भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का संयुक्त सचिव – पदेन सदस्य; (घ) संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) – सदस्य; (ड.) दो सदस्य जिसे बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, एक शिक्षण–क्षेत्र से और दूसरा उद्योग से – सदस्य; और (च) कोई अन्य सदस्य जिसे बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।
12.	शैक्षणिक मामलों संबंधी समिति की शक्तियां।	शैक्षणिक मामलों संबंधी समिति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:– (क) कार्यकारिणी परिषद या संस्थान में किसी अन्य अभिहित प्राधिकरी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक मामलों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करना, उनकी जांच, पुनर्विलोकन करना, अनुमोदन करना और/या बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करना; (ख) चल रहे कार्यक्रमों, संस्थान के नए केन्द्रों के विकास और प्रारंभ से संबंधित शैक्षणिक मामलों, शैक्षणिक कार्यक्रमों और शिक्षण मानदण्डों के प्रोत्साहन देने के लिए अन्य संस्थाओं और उद्योग के साथ सहयोग के मामलों पर बोर्ड को सलाह देना; (ग) संस्थान के व्यापक हित में विद्यमान और/या प्रस्तावित शैक्षणिक नीतियों में परिवर्तन का सुझाव देना; (घ) कोई अन्य शक्ति जिसे बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किया जाए ।
13.	शैक्षणिक मामलों संबंधी समिति के कर्त्तव्य।	शैक्षणिक मामलों संबंधी समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे, अर्थात्:– (क) संस्थान की विद्यमान शैक्षणिक नीतियों के अनुपालन की निगरानी करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना; (ख) संस्थान के शैक्षणिक मानदण्डों के अनुरक्षण और उनमें सुधार की निगरानी करना; (ग) संस्थान तथा इसके पणधारकों के हित को प्रोत्साहन देने के लिए उच्चतर शैक्षणिक मानदण्डों और सर्वोत्तम पद्धतियां सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रणालियां स्थापित करने में बोर्ड की सहायता करना; (घ) कोई अन्य कर्त्तव्य जिसे बोर्ड द्वारा समनुदेशित किए जाए ।
14.	सिनेट की शक्तियां।	सिनेट निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात्:– (क) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या और पाठ्यविवरण तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना;

		(ख) परीक्षाओं का आयोजन करने, परीक्षकों, अनुसीमकों, सारणीकारों और ऐसे ही कार्मिकों की नियुक्ति करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना; (ग) परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना; (घ) किसी विभाग का सृजन करने या उसमें परिवर्तन करने या किसी विभाग को समाप्त करने या उसे अन्य विभाग के साथ विलयन करने के बारे में बोर्ड को सिफारिशें करना; (ड.) विभागों के क्रियाकलापों का नियतकालीन पुनरीक्षण करना और समुचित कार्रवाई करना; (च) पुस्तकालय और संसाधन केन्द्रों का तथा किसी भी अन्य शैक्षणिक सहायक सेवाओं के कार्यकरण का नियतकालीन पुनरीक्षण करना और समुचित कार्रवाई करना; (छ) प्रवेश, अनुशासन, उपस्थिति, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षावृत्ति, पदक और पुरस्कार देने, फीस, आवास, रियायतों और उपस्थिति के विषय में परिनियमों और अध्यादेशों से संगत मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना; (ज) संस्थान के भीतर अनुसंधान की अभिवृद्धि करना और उसमें लगे व्यक्तियों से ऐसी अनुसंधान संबंधी रिपोर्ट की अपेक्षा प्राप्त करना; (झ) संस्थान की शैक्षणिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना तथा संस्थाओं में शिक्षण पद्धतियों और सहकारी शिक्षण के बारे में निदेश देना; और (ञ) संस्थान की शैक्षणिक और अनुसंधान संबंधी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए दूरस्थ और अन्य शिक्षा माध्यम से पहुंच बनाना।
15.	सिनेट की बैठकें।	(1) सिनेट उतनी बैठकें करेगी जितनी आवश्यक हों किंतु एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान ऐसी बैठकें दो बार से कम नहीं होंगी। (2) सिनेट का अध्यक्ष अपनी स्वयं की पहल पर या सिनेट के बीस प्रतिशत सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांग करने पर सिनेट की बैठक बुलाएगा। (3) अध्यपेक्षित बैठक एक विशेष बैठक होगी जिसमें कार्यसूची की केवल उन्हीं मदों पर विचार–विमर्श किया जाएगा जिनके लिए मांग की गई है और ऐसी बैठक सिनेट के अध्यक्ष की सुविधाजनक तारीख और समय पर आयोजित की जाएगी। (4) सिनेट की कुल सदस्य संख्या का एक–तिहाई संख्या सिनेट की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी। (5) सिनेट का अध्यक्ष, सिनेट की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा: परंतु सिनेट के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट ज्येष्ठतम निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेगा।

		(6) रजिस्ट्रार द्वारा सिनेट की प्रत्येक बैठक की एक लिखित सूचना उसकी कार्यसूची सहित सिनेट के सदस्यों को बैठक के कम–से–कम एक सप्ताह पूर्व परिचालित की जाएगी: परंतु सिनेट का अध्यक्ष उसमें किसी भी मद को सम्मिलित करने की अनुज्ञा दे सकेगा जिसके लिए सम्यक सूचना नहीं दी जा सकी है। (7) उप–परिनियम (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सिनेट का अध्यक्ष अत्यावश्यक मुद्दों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर सिनेट की आपात बैठक बुला सकेगा। (8) क्रियाविधि के सभी प्रश्नों के संबंध में सिनेट के अध्यक्ष का विनिर्णय अंतिम होगा। (9) सिनेट के अध्यक्ष के अनुमोदन से सिनेट की बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किए जाएंगे और उन्हें सिनेट के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा: परंतु किसी ऐसे कार्यवृत्त को परिचालित नहीं किया जाएगा, यदि सिनेट यह समझती है कि ऐसा परिचालन संस्थान के हितों के प्रतिकूल है। (10) कार्यवृत्त को, उसमें सुझाए गए संशोधन, यदि कोई हो, के साथ सिनेट की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा और कार्यवृत्त की पुष्टि हो जाने और सिनेट के अध्यक्ष द्वारा उन पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् उन्हें कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा। (11) रजिस्ट्रार सिनेट की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड को भेजेगा। (12) रजिस्ट्रार या सिनेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सिनेट के सभी आदेशों और निर्णयों को अधिप्रमाणित करेगा। (13) आपाती मामलों में, सिनेट का अध्यक्ष सिनेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और वह अपने द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई की सूचना सिनेट की अगली बैठक में उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। (14) सिनेट का अध्यक्ष आवश्यकता के आधार पर सिनेट की बैठक में विशेष आमंत्रितियों को आमंत्रित कर सकेगा।
16.	सिनेट में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्य।	बोर्ड, सिनेट में कर्मचारिवृंद के निम्नलिखित अन्य सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा,– (क) निदेशक (प्रवेश); (ख) परीक्षा नियंत्रक; (ग) संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक); (घ) प्रमुख (शैक्षणिक मामले); (ङ) विभागों के अध्यक्ष; और (च) संस्थान के राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र का प्रमुख।

13069/12-2

17.	महानिदेशक की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य।	(1) महानिदेशक संस्थान के लिए और उसकी ओर से सभी संविदाओं को निष्पादित करेगा सिवाए उनको छोड़कर जो संस्थान और महानिदेशक के बीच होंगी, किंतु वह ऐसी संविदा के अधीन किसी भी कार्य की बाबत व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। (2) महानिदेशक, बोर्ड और सिनेट की बैठकें आयोजित करेगा या आयोजित करवाएगा। (3) महानिदेशक, ऐसे क्षेत्रों में जिनमें संस्थान में पर्याप्त अनुभवी विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है, संस्थान के बाहर से किन्हीं भी ऐसे व्यक्तियों को सिनेट की सिफारिश पर अभ्यागत संकाय या परामर्शदाताओं के रूप में उसके द्वारा विनिर्णित किए जाने वाले निबंधनों पर आमंत्रित कर सकेगा। (4) यदि, किसी कारणवश रजिस्ट्रार अस्थाई रूप से अनुपस्थित है, तो महानिदेशक, रजिस्ट्रार के ऐसे किन्हीं या सभी कार्यों को अधिग्रहीत कर सकेगा या उन्हें संस्थान के कर्मचारिवृंद के किसी भी सदस्य को सौंप सकेगा, जो वह उचित समझे। (5) महानिदेशक, मुख्यालय से अपनी अनुपस्थिति के दौरान, उपस्थित किसी भी निदेशक को संस्थान के दैनिक किसी या सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और उसे महानिदेशक की ऐसी शक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो उक्त निदेशक को विशेष रूप से प्रत्यायोजित करने के लिए उसके द्वारा लिखित रूप से दी जाएं। (6) महानिदेशक ज्येष्ठ आचार्यों, आचार्यों और सहयुक्त आचार्यों में से प्रत्येक शैक्षणिक विभाग के अध्यक्ष को नामनिर्दिष्ट करेगा जो महानिदेशक के प्रति उत्तरदायी होंगे। (7) महानिदेशक के पास वित्तीय और लेखांकन नियमों तथा मूलभूत और अनुपूरक नियमों तथा सरकार के यथालागू या संस्थान के संचालन के लिए लागू किए गए अन्य नियमों के प्रयोजनों के लिए विभागाध्यक्ष की शक्तियां होंगी।
18.	रजिस्ट्रार की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें।	रजिस्ट्रार की नियुक्ति बोर्ड द्वारा संस्थान के अधिकारियों में से की जाएगी जिसका वेतनमान भारत सरकार के उप सचिव के वेतन मान के समतुल्य या उससे अधिक होगा, या वह प्रतिनियुक्ति पर होगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष से अनधिक होगी: परंतु बोर्ड द्वारा तीन वर्ष की अवधि को और दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
19.	नियुक्तियां।	(1) संस्थान के पद सीधी भर्ती, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन या संविदा के आधार पर भरे जाएंगे: परंतु कोई भी व्यक्ति संस्थान में दो वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व और बोर्ड द्वारा पद के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों के बिना किसी पद पर आमेलित नहीं किया जाएगा।

		(2) संस्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिकथित पदों के आरक्षण के लिए आवश्यक उपबंध करेगा। (3) संस्थान में विभिन्न पदों को भरने के लिए चयन समितियां ऐसी होंगी, जैसी अनुसूची-।। में विनिर्दिष्ट की गई हैं। (4) अध्यक्ष और चयन समिति के सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी। (5) जहां चयन समिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों पर विचार कर रही है तथा उसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है । वहां ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से समुचित स्तर का एक सदस्य चयन समिति में सहयोजित हो सकेगा, (6) समूह-क पदों के लिए की गई नियुक्तियों के ब्यौरे नियुक्तियां किए जाने वाली बोर्ड के पूर्ववर्ती पहली बैठक में अनुसमर्थन के लिए बोर्ड को रिपोर्ट किए जाएंगे।
20.	नियमित कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें।	संस्थान के स्थायी कर्मचारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे, अर्थात्:- (क) प्रत्येक नियुक्ति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि नियुक्त व्यक्ति संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अच्छा स्वास्थ्य में और भारत में सेवा के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना प्रमाणित किया गया हो। (ख) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए संस्थान के अधीन ऐसे पदों पर सभी नियुक्तियां सामान्यतः, यथास्थिति, एक या दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर की जाएंगी: परंतु नियुक्ति प्राधिकारी को किसी नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि को उपरोक्त नियत कार्यावधि से परे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाने की शक्ति होगी। (ग) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि कर्मचारिवृंद का अंग नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे सेवा से निर्मुक्त कर सकेगा। (घ) पुष्टि चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। (ङ.) संस्थान के कर्मचारी को अपना समस्त समय संस्थान की सेवा में समर्पित करना होगा और वह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे किसी भी व्यवसाय या व्यापार या किसी अन्य कार्य को नहीं करेगा, जो उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन में बाधा डालता हो । (च) नियुक्ति प्राधिकारी को, कर्मचारिवृंद के किसी भी सदस्य की सेवाओं को, बोर्ड द्वारा नियुक्त चिकित्सा प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र पर कि ऐसा व्यक्ति की सेवा में बना रहना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवांछनीय समझा गया है, तीन मास की सूचना देकर या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करके समाप्त करने की शक्ति होगी।

		(छ) बोर्ड को, कर्मचारिवृंद के किसी भी सदस्य की सेवाओं को, छंटनी या मितव्ययिता के आधार पर, संबंधित व्यक्तियों को तीन मास की लिखित सूचना दिए जाने पर या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करके समाप्त करने की शक्ति होगी। (ज) संस्थान का कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की सूचना देकर पद त्याग सकेगा: परंतु नियुक्ति प्राधिकारी, पर्याप्त कारणों से या तो उसकी तीन मास की इस अवधि को कम या अधित्यक्त कर सकेगा या संबंधित कर्मचारी को शैक्षणिक सत्र, जिसमें सूचना प्राप्त की गई है, की समाप्ति तक पद पर बने रहने के लिए कह सकेगा; (झ) संस्थान के कर्मचारी समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और संस्थान के नियमों द्वारा शासित होंगे। (ञ) संस्थान के कर्मचारी समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 द्वारा शासित होंगे। (ट) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी वे होंगे, जो अनुसूची-। में यथाविनिर्दिष्ट हैं। (ठ) संस्थान के कर्मचारी वेतन मान या ग्रेड वेतन के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे। (ड) संस्थान के कर्मचारी अपने और अपने कुटुंब पर होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।
21.	दीर्घकालिक संविदा पर कर्मचारियों के निबंधन और शर्तें।	(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को दीर्घकालिक संविदा के आधार पर तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए समान पद के लिए यथालागू वेतनमान पर बोर्ड द्वारा यथानिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा: परंतु नियुक्ति प्राधिकारी संतोषजनक कार्यनिष्पादन और संस्थान की आवश्यकता के अध्यधीन संविदा को आगे और अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा। (2) दीर्घकालिक कर्मचारी की सेवा कर्मचारी द्वारा या तो नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को एक मास की सूचना देकर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। (3) ऐसे कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके नियुक्ति-पत्र में विनिर्दिष्ट की जाएगी ।
22.	अल्पकालिक संविदा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें।	(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को अल्पकालिक संविदा के आधार पर छह मास के अनधिक अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा: परंतु नियुक्ति प्राधिकारी संतोषजनक कार्यनिष्पादन और संस्थान की आवश्यकता के अध्यधीन संविदा को आगे और अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (2) ऐसे कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके नियुक्ति-पत्र में विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

		(3) अल्पकालिक संविदा कर्मचारी की सेवा कर्मचारी द्वारा या तो नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को एक मास की सूचना देकर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
23.	सेवानिवृत्ति लाभ।	संस्थान, संस्थान के कर्मचारियों के लिए अभिदायी भविष्य निधि स्कीम बनाएगा।
24.	छुट्टी।	संस्थान के कर्मचारी इस प्रकार की छुट्टी के हकदार होंगे, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
25.	विभाग	(1) संस्थान के निम्नलिखित शैक्षणिक विभाग होंगे, अर्थात्:– (क) फाउंडेशन कार्यक्रम; (ख) फैशन डिजाइन; (ग) लैदर डिजाइन; (घ) टैक्सटाइल डिजाइन; (ङ.) निटवेयर डिजाइन; (च) फैशन संप्रेषण; (छ) फैशन और जीवन–शैली उपकरण; (ज) फैशन प्रबंधन अध्ययन; (झ) फैशन प्रौद्योगिकी; और (ञ) डिजाइन स्पेस। (2) बोर्ड, सिनेट की सिफारिश पर, किसी भी विभाग का सृजन या उसमें उपांतरण या उसका उत्सादन कर सकेगा अथवा उसे किसी अन्य विभाग के साथ विलीन कर सकेगा।
26.	अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों आदि की स्थापना	संस्थान, बोर्ड के विनिश्चय तथा बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर अभिकथित नीतियों के अनुसार ऐसी वृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों, इनामों और अन्य पुरस्कारों की स्थापना करेगा और उन्हें प्रदान करेगा जो अध्यादेशों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट स्नातकपूर्वों, स्नातकोत्तरों, अनुसंधान और डॉक्टोरलपश्च विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए दिए जाने हैं।

मोनिका स. गर्ग, महानिदेशक

[विज्ञापन III/4/191–सी/12/असा.]

1306 GI/12-3

अनुसूची – I

[परिनियम 7 (2) और 20 (ट) (देखिए]

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के प्रयोजनार्थ अनुशासनिक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और पुनर्विलोकन प्राधिकारी निम्नानुसार होंगेः

पदों का समूह	अनुशासनिक प्राधिकारी गौण शास्ति	अनुशासनिक प्राधिकारी बड़ी शास्ति	अपील प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी
समूह 'क'	महानिदेशक	महानिदेशक	बोर्ड की स्थापना समिति	शासी बोर्ड
समूह 'ख'	निदेशक	महानिदेशक	बोर्ड की स्थापना समिति	शासी बोर्ड
समूह 'ग'	निदेशक	निदेशक	महानिदेशक	बोर्ड की स्थापना समिति

अनुसूची–II

(परिनियम 19 (3) देखिए)

निम्न के लिए प्रवरण समिति की संरचना

	सीधी भर्ती	प्रोन्नति/आमेलन	प्रतिनियुक्ति	पुष्टि
वेतन बैंड–4 में समूह 'क' पद	i) अध्यक्ष, बोर्ड – अध्यक्ष ii) महानिदेशक iii) बोर्ड के दो सदस्य iv) दो विशेषज्ञ	i) अध्यक्ष, बोर्ड – अध्यक्ष ii) महानिदेशक iii) बोर्ड के दो सदस्य iv) दो विशेषज्ञ	i) अध्यक्ष, बोर्ड – अध्यक्ष ii) महानिदेशक iii) बोर्ड के दो सदस्य iv) दो विशेषज्ञ	i) अध्यक्ष, बोर्ड – अध्यक्ष ii) महानिदेशक iii) बोर्ड के दो सदस्य iv) दो विशेषज्ञ
वेतन बैंड +ग्रेड वेतन 6600/रु0 और उससे ऊपर वाले समूह 'क' पद	i) महानिदेशक – अध्यक्ष ii) बोर्ड के दो सदस्य iii) दो विशेषज्ञ iv) एक निदेशक जिसे महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।	i) महानिदेशक – अध्यक्ष ii) बोर्ड के दो सदस्य iii) दो विशेषज्ञ iv) एक निदेशक जिसे महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।	i) महानिदेशक – अध्यक्ष ii) बोर्ड का एक सदस्य iii) दो विशेषज्ञ	i) महानिदेशक – अध्यक्ष ii) बोर्ड का एक सदस्य iii) एक निदेशक जिसे महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।
वेतन बैंड +ग्रेड वेतन 5400/ रु0 समूह 'क' पद	i) महानिदेशक – अध्यक्ष ii) बोर्ड का एक सदस्य iii) दो विशेषज्ञ iv) एक निदेशक जिसे महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।	i) महानिदेशक – अध्यक्ष ii) बोर्ड का एक सदस्य iii) एक निदेशक जिसे महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए । iv) एक विशेषज्ञ	i) महानिदेशक – अध्यक्ष ii) बोर्ड का एक सदस्य iii) एक निदेशक जिसे महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए । iv) एक विशेषज्ञ	i) महानिदेशक – अध्यक्ष ii) दो निदेशक जिन्हें महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।
समूह 'ख' पद	i) महानिदेशक – अध्यक्ष ii) दो निदेशक जिसे महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए । iii) एक विशेषज्ञ	i) महानिदेशक - अध्यक्ष ii) दो निदेशक जिसे महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए । iii) एक विशेषज्ञ	i) निदेशक – अध्यक्ष ii) दो समूह 'क' अधिकारी जिन्हें महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए । iii) एक विशेषज्ञ	i) निदेशक – अध्यक्ष ii) दो समूह 'क' अधिकारी जिन्हें महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।
समूह 'ग' पद	i) निदेशक अध्यक्ष ii) दो समूह 'क' अधिकारी जिन्हें महानिदेशक द्वारा अन्य केन्द्रों/प्रधान कार्यालय से नामनिर्दिष्ट किया जाए । iii) दो विशेषज्ञ जिन्हें महानिदेशक के अनुमोदन से अन्य राज्यों /केन्द्रीय सरकार/ अकादमियों से नामनिर्दिष्ट किया जाए ।	i) निदेशक अध्यक्ष ii) दो समूह 'क' अधिकारी जिन्हें महानिदेशक द्वारा अन्य केन्द्रों/प्रधान कार्यालय से नामनिर्दिष्ट किया जाए । iii) दो विशेषज्ञ जिन्हें महानिदेशक के अनुमोदन से अन्य राज्यों /केन्द्रीय सरकार/ अकादमियों से नामनिर्दिष्ट किया जाए ।	i) निदेशक अध्यक्ष ii दो समूह 'क' अधिकारी जिन्हें महानिदेशक द्वारा अन्य केन्द्रों/प्रधान कार्यालय से नामनिर्दिष्ट किया जाए । iii) दो विशेषज्ञ जिन्हें महानिदेशक के अनुमोदन से अन्य राज्यों /केन्द्रीय सरकार/ अकादमियों से नामनिर्दिष्ट किया जाए ।	i) निदेशक अध्यक्ष ii) दो समूह 'क' अधिकारी जिन्हें महानिदेशक द्वारा अन्य केन्द्रों से नामनिर्दिष्ट किया जाए ।

NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2012

F. No. NIFT/HO/ACT-Statutes/2007-Vol. III.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the National Institute of Fashion Technology Act, 2006 (28 of 2006), the Board with the previous approval of the Visitor, hereby frames the following First Statutes of the National Institute of Fashion Technology, namely :—

1.	Short title and commencement.	(1) These Statutes may be called the First Statutes of National Institute of Fashion Technology, 2012. (2) They shall come into force, on the date of their publication in the Official Gazette.
2.	Definitions.	(1) In these First Statutes, unless the context otherwise requires,- (a) "Act" means the National Institute of Fashion Technology Act, 2006; (b) "Department" means an academic Department established to impart instructions and for carrying out research activities; (c) "Schedule" means the Schedule annexed to these Statutes. (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in Act, shall have same meanings respectively assigned to them in the Act.
3.	Authentication of orders and decisions of Board.	All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the Registrar or any other person duly authorized by the Board in this behalf.
4.	Other authorities of Institute.	The following, shall be the other authorities of the Institute, namely; (a) the Establishment Committee; (b) the Finance and Audit Committee; and (c) the Academic Affairs Committee.
5.	Meetings of other authorities of Institute	(1) The other authorities of the Institute shall meet as often as necessary, but not less than two times during a calendar year. (2) One third of the total number of members shall form the quorum for meeting of the other authorities.
6.	Constitution of Establishment Committee.	The Establishment Committee shall consist of the following Chairperson and Members, namely:- (a) Chairperson, Board – Chairperson; (b) Two members of the Board – Member; (c) Director – General, National Institute of Fashion Technology - Member; (d) Joint Secretary, in the Ministry or Department of the Government of India dealing with the Institute - *ex officio* Member; and (e) Any other member(s) as may be nominated by the Board.
7.	Powers, duties and functions of Establishment Committee.	(1) The Establishment Committee shall exercise the powers and functions of the Board relating to establishment matters and perform any other functions related to the establishment matters of the Institute assigned by the Board. (2) The Establishment Committee shall function as the Appellate Authority and Reviewing Authority for the purpose of Central Civil Services

		(Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 as specified in Schedule 1 to these Statutes.
8.	Constitution of Finance and Audit Committee	The Finance and Audit Committee shall consist of the following Chairperson and Members, namely:- (a) Financial Advisor of the Ministry or Department of the Government of India dealing with the Institute - *ex-officio* Chairperson; (b) One Member of the Board – Member; (c) Joint Secretary, in the Ministry or Department of the Government of India dealing with the Institute - *ex officio* Member; (d) Director – General, National Institute of Fashion Technology – Member; Director (Finance and Accounts), National Institute of Fashion Technology - Member; and (e) any other member(s) as may be nominated by the Board.
9.	Powers of Finance and Audit Committee	The Finance and Audit Committee shall have the following powers, namely:- (a) to write off of assets, engagement of consultants, disposal of surplus stores of book value beyond the delegated powers of the Director - General; (b) to accord the necessary administrative approval and expenditure sanction for all capital goods and major works, beyond the delegated powers of the Director - General; (c) to fix limits of the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure of the year based on the income and resources of the Institute; and (d) any other powers as may be delegated by the Board.
10.	Duties of Finance and Audit Committee	The Finance and Audit Committee shall have the following duties, namely:- (a) to examine and scrutinize the annual budget of the Institute prepared by the Director - General and make recommendations to the Board; (b) to examine the accounts and to scrutinize the proposals for expenditure; (c) to consider and make its recommendations to the Board on all such matters connected with the Institute as have financial implications; (d) to act as the Audit Committee for all financial matters; (e) to give its views and make its recommendations to the Board either on the initiative of the Board or of the Director – General, or on its own initiative of any financial question affecting the Institute; and (f) any other duties as may be assigned by the Board.
11.	Constitution of Academic Affairs Committee	The Academic Affairs Committee shall consist of the following Chairperson and members, namely:- (a) Director General – Chairperson; (b) One member of the Board – Member; (c) Joint Secretary in the Ministry of Textiles, Government of India, dealing with the Institute - *ex officio* Member; (d) Dean (Academics) – Member; (e) Two members to be nominated by the Board, one from academics and one from the industry – Member; and (f) any other member(s) as may be nominated by the Board.
12.	Powers of Academic Affairs Committee	The Academic Affairs Committee shall have the following powers, namely: (a) to consider, examine, review, approve and / or recommend proposals relating to academic matters submitted by the Executive Council or any other designated authority in the Institute for ratification by the Board; (b) to advise the Board on academic matters relating to ongoing

1306 GI/12-4

		programmes, development and commencement of new Centres of the Institute, collaborations with other institutions and the industry for furthering the academic programmes and educational standards ; (c) to suggest changes in existing and / or proposed academic policies in the larger interest of the Institute; and (d) any other power as may be delegated by the Board.
13.	Duties of Academic Affairs Committee	The Academic Affairs Committee shall have the following duties, namely: (a) to oversee and ensure compliance with existing academic policies of the Institute; (b) to oversee the maintenance and improvement of academic standards of the Institute: and (c) to assist the Board in establishing policies and systems for ensuring the highest academic standards and best practices for furthering the interest of the Institute and its stakeholders; (d) any other duties as may be assigned by the Board.
14.	Powers of Senate.	The Senate shall exercise the following powers, namely:- (a) frame and revise curricula and syllabi for the courses of studies for the various programmes; (b) lay down procedures for the conduct of examinations, appointment of examiners, moderators, tabulators and the like; (c) lay down procedure for declaration of the results of the examinations; (d) make recommendations to Board on creation or modification or abolition of any Department or merger with another Department; (e) make periodical review of the activities of the Departments and take appropriate action; (f) review periodically the working of the Library and Resource Centres and any other academic support services and take appropriate action; (g) frame guidelines consistent with the Statutes and the Ordinances regarding admission, discipline, attendance, award of fellowships, scholarships, free studentships, medals and prizes, fees, residences, concessions and attendance; (h) promote research within the Institute and require reports on such research from the persons engaged thereon; (i) exercise general supervision over the academic policies of the Institute and to give directions regarding methods of instruction and co-operative teaching among institutions; and (j) outreach through distance and other learning mode to enhance the academic and research productivity of the Institute.
15.	Meetings of Senate.	(1)The Senate shall meet as often as necessary, but not less than two times during a calendar year. (2) The Chairperson of the Senate shall convene the meeting of the Senate on his own initiative or on a requisition signed by twenty per cent of the members of the Senate.

		(3) Requisitioned meeting shall be a special meeting to discuss only those items of agenda for which requisition is given and shall be convened by the Chairperson of the Senate on convenient date and time. (4) One third of the total number of members of the Senate shall form the quorum for a meeting of the Senate. (5) The Chairperson of the Senate shall preside at every meeting of the Senate: Provided that in the absence of the Chairperson of the Senate, the senior most Director nominated by the Chairperson shall preside at the meeting. (6) A written notice of every meeting together with the agenda shall be circulated by the Registrar to the members of the Senate at least one week before the meeting: Provided that Chairperson of the Senate may permit inclusion of any item for which due notice could not be given. (7) Notwithstanding anything contained in sub-statute (6), the Chairperson of the Senate may call an emergency meeting of the Senate at short notice to consider urgent issues. (8) The ruling of the Chairperson of the Senate in regard to all questions of procedure shall be final. (9) The minutes of the proceedings of a meeting of the Senate shall be drawn up by the Registrar with the approval of the Chairperson of the Senate and circulated to all members of the Senate: Provided that any such minute shall not be circulated if the Senate considers such circulation prejudicial to the interests of the Institute. (10) The minutes along with amendments, suggested, if any, shall be placed for confirmation at the next meeting of Senate and after the minutes are confirmed and signed by the Chairperson of the Senate, they shall be recorded in a minute book. (11) The Registrar shall send a copy of the minutes of every meeting of the Senate to the Board. (12) The Registrar or any other person authorised by the Senate in this behalf shall authenticate all orders and decisions of the Senate. (13) In emergent cases, the Chairperson of the Senate may exercise the powers of the Senate and report to the Senate of the action taken by him at its next meeting for its approval. (14) Chairperson of the Senate may seek the presence of special invitees to the Senate meeting on need basis.
16.	Other members of staff to be nominated to Senate.	The Board shall nominate the following other members of the staff to the Senate,- (a) the Director (Admissions); (b) the Controller of Examinations;

		(c) the Dean (Academics); (d) the Head (Academic Affairs); (e) the Chairpersons of Departments; and (f) the Head of the National Resources Centre of the Institute.
17.	Powers, duties and functions of Director-General.	(1) The Director - General shall execute all contracts for and on behalf of the Institute except the one between the Institute and Director - General, but he shall not be personally liable in respect of anything under such contract. (2) The Director-General shall convene or cause to be convened meetings of the Board and the Senate. (3) The Director-General may invite persons from outside the Institute as visiting faculty or consultants in areas where adequate expertise is not available in the Institute on terms to be decided by him on the recommendation of the Senate. (4) If, for any reason, the Registrar is temporarily absent, the Director-General may take over or assign to any member of the staff of the Institute, any or all of the functions of the Registrar as he deems fit. (5) The Director-General may, during his absence from the headquarters, authorise one of the Directors present, to discharge any or all of the day to day functions of the Institute and authorise him for assuming such powers of the Director-General as may be specifically delegated to the said Director, by him in writing. (6) The Director-General shall nominate Chairperson of each academic Department from amongst the Senior Professors, Professors and Associate Professors who shall be responsible to the Director-General. (7) The Director-General shall have powers of a Head of the Department for purposes of Finance and Accounting Rules and Fundamental and Supplementary Rules and other rules of the Government as far as applicable or as may be made applicable to the conduct of the Institute.
18.	Terms and conditions of appointment of Registrar	The Registrar shall be appointed by the Board from amongst the officers of the Institute in the scale of pay equivalent to Deputy Secretary to the Government of India or above, or on Deputation for a period not exceeding three years: Provided that the period of three years may be extended by the Board by another two years.
19.	Appointments.	(1) Posts at the Institute shall be filled by direct recruitment, promotion, deputation, absorption or contract : Provided that no person shall be absorbed in a post at the Institute before completion of two years service in the Institute and without the recommendations of the Selection Committee for the post constituted by the Board. (2) The Institute shall make necessary provisions for the reservation of posts as laid down by the Board in accordance with the directives of the Central Government from time to time. (3) The Selection Committees for filling up various posts at the Institute shall be such as are specified in Schedule-II.

		(4) Chairman and half of the total number of members of the Selection Committee shall form the quorum for meeting of the Committee. (5) A member from Scheduled Caste/Scheduled Tribe Community of appropriate level shall be co-opted to the Selection Committee in cases where the Selection Committee considering the candidature from Scheduled Caste/Scheduled Tribe category has no representation from Scheduled Caste/Scheduled Tribe Community. (6) Details of the appointments made to the Group-A posts shall be reported to the Board in the first meeting succeeding the appointments, for ratification.
20.	Terms and conditions of service of regular employees.	The regular employees of the Institute shall be governed by the following terms and conditions, namely:- (a) every appointment shall be subject to the condition that the appointee is certified to be of sound health and physically fit for service in India by a medical authority specified by the Institute; (b) subject to the provisions of the Act and the Statutes, all appointments to such posts under the Institute shall ordinarily be made on probation for a period of one or two years, as the case may be: Provided that the appointing authority shall have the power to extend the period of probation of any appointee for a period not exceeding one year beyond the period stipulated above. (c) if, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the appointing authority is of the opinion that the member of the staff is not fit for regular appointment, the appointing authority may discharge him from the service. (d) the confirmation shall be done on the recommendation of the Selection Committee. (e) an employee of the Institute shall devote his whole time to the service of the Institute and shall not engage, directly or indirectly, in any trade or business or any other work which may interfere with the proper discharge of his duties. (f) the appointing authority shall have the power to terminate the services of any member of the staff by three month's notice or on payment of three month's salary in lieu thereof, if his continuation in service is considered undesirable by appointing authority on the certificate of the medical authority appointed by the Board. (g) the Board shall have the power to terminate the services of any member of the staff on grounds of retrenchment or economy by giving to the persons concerned three months notice in writing or on payment of three months salary in lieu thereof. (h) an employee of the Institute may resign by giving to the appointing authority three month's notice: Provided that the appointing authority may for sufficient reasons, either reduce or waive off this period of three months or call upon the employee concerned to continue till the end of the academic session in which the notice is received.

		(i) the employees of the Institute shall be governed by the Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964 as amended from time to time and the rules of the Institute. (j) the employees of the Institute shall be governed by the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965 as amended from time to time. (k) the authorities for the purpose of Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965 shall be such as are specified in **Schedule-I**. (l) the employees of the Institute shall be entitled to traveling and daily allowances according to the scales or grades of pay. (m) the employees of the Institute shall be entitled to reimbursement of medical expenses incurred on themselves and their families.
21	Terms and conditions of employees on long term contracts.	(1) The appointing authority may appoint any person on long term contract, in the scales of pay as are applicable to the similar post and on terms and conditions as specified by the Board, for a period not exceeding three years : Provided that the appointing authority may renew the contract for further period subject to satisfactory performance and requirements of the Institute. (2) The service of a long term employee can be terminated any time by one month's notice or one month's salary in lieu of that, either by the employee to the appointing authority or by the appointing authority to the employee. (3) The other terms and conditions of service of such employees shall be such as may be specified by the appointing authority in his letter of appointment.
22.	Terms and conditions of service of short term contract employees.	(1) The appointing authority may appoint any person on short term contract basis for a period not exceeding six months: Provided that the appointing authority may renew the contract for further periods subject to satisfactory performance and requirements of the Institute and the total term of such appointment shall not exceed three years. (2) The other terms and conditions of service of such employees shall be such as may be specified by the appointing authority in his letter of appointment. (3) The service of a short term contract employee can be terminated any time by one month's notice or one month's salary in lieu of that, either by the employee to the appointing authority or by the appointing authority to the employee.
23.	Retirement benefits.	The Institute shall frame a Contributory Provident Fund Scheme for the employees of the Institute.
24.	Leave.	Employees of the Institute shall be entitled to such types of leave as specified by the Board.
25.	Departments.	(1) The Institute shall have the following Academic Departments, namely :- (a) Foundation Programme; (b) Fashion Design;

		(c) Leather Design; (d) Textile Design; (e) Knitwear Design; (f) Fashion Communication; (g) Fashion and Life Style Accessories; (h) Fashion Management Studies; (i) Fashion Technology; and (j) Design Space. (2) The Board may, on the recommendation of the Senate, create or modify or abolish any Department or merge it with another Department.
26.	Institutions of fellowships, scholarships, medals etc.	The Institute shall, in accordance with the decision of the Board and the policies laid down by the Board and other authorities, from time to time institute and award such stipends, fellowships, scholarships, medals, prizes and other awards to be awarded to the undergraduate, postgraduate, research and post-doctoral students for different academic programmes as may be specified by Ordinances.

MONIKA S. GARG, Director General

[ADVT. III/4/191-C/12/Exty.]

Schedule -I

[(*See Statutes 7(2) and* 20 (k)]

The Disciplinary Authority, Appellate Authority and Reviewing Authority for the purpose of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall be as given below:-

Group of Posts	Disciplinary Authority ——— Minor Penalty	Disciplinary Authority ——— Major Penalty	Appellate Authority	Reviewing Authority
Group 'A'	Director - General	Director - General	The Establishment Committee of the Board	Board of Governors
Group 'B'	Director	Director- General	The Establishment Committee of the Board	Board of Governors
Group 'C'	Director	Director	Director - General	The Establishment Committee of the Board

Schedule -II
[See Statute 19(3)]

Posts	Composition of Selection Committee.			
	Direct Recruitment	**Promotion/Absorption**	**Deputation**	**Confirmation**
Group 'A' Posts in Pay Band -4	i) Chairperson Board-Chairman ii) Director - General iii) Two Members of the Board iv) Two Experts	i) Chairperson, Board-Chairman ii) Director - General iii) Two Members of the Board iv) Two Experts	i) Chairperson Board-Chairman ii) Director - General iii) Two Members of the Board iv) Two Experts	i) Chairperson Board-Chairman ii) Director - General iii) Two Members of the Board. iv) Two Experts
Group 'A' Posts in PB-3 with Grade Pay of ₹ 6600/- and above	i) Director - General - Chairman ii) Two Members of the Board iii) Two Experts iv) One Director to be nominated by Director - General	i) Director - General - Chairman ii) Two Members of the Board iii) Two Experts iv) One Director to be nominated by Director - General	i) Director - General – Chairman ii) One Member of the Board iii) Two Experts	i) Director - General – Chairman ii) One Member of the Board iii)One Director to be nominated by Director - General
Group 'A' Posts with Grade Pay ₹ 5400/-	i) Director - General - Chairman ii) One Member of the Board iii) Two Experts iv)One Director to be nominated by Director - General	i) Director - General - Chairman ii) One Member of the Board iii)One Director to be nominated by Director - General iv) One Expert	i) Director - General - Chairman ii) One Member of the Board iii) One Director to be nominated by Director - General iv) One Expert	i) Director - General - Chairman ii) Two Directors to be nominated by Director - General.
Group 'B' Posts	i) Director - General - Chairman ii)Two Directors to be nominated by Director - General iii) One Expert	i) Director - General - Chairman ii)Two Directors to be nominated by Director - General iii) One Expert	i) Director – Chairman ii) Two Group 'A' Officers to be nominated by Director - General iii) One Expert	i) Director – Chairman ii) Two Group 'A' Officers to be nominated by Director - General
Group 'C' Posts	i) Director –Chairman ii) Two Group 'A' Officers to be nominated by Director - General from other Centres/Head Office iii) Two Experts to be nominated with Director - General's approval from State/Central Government/Academics	i) Director –Chairman ii) Two Group 'A' Officers to be nominated by Director - General from other Centres/Head Office iii) Two Experts to be nominated with Director - General's approval from State/Central Government/ Academics	i) Director –Chairman ii) Two Group 'A' Officers to be nominated by Director - General from other Centres/Head Office iii) Two Experts to be nominated with Director - General's approval from State/Central Government/Academics.	i) Director –Chairman ii) Two Group 'A' Officers to be nominated by Director - General from other Centres

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.